न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ...... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 414/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 847/2026]

[CNR No. UPFZ010022572026]

सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र पंचम प्रसाद यादव, निवासी ग्राम हरौरा बाजार चकिया, थाना कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर। हाल पता ग्राम पूरे खरक पान का पुरवा पीपर गांव, थाना धनपतगंज, जनपद सुल्तानपुर।

...........प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .... विपक्षी

....

1. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 414/2026, परिवाद संख्या 41/2013, अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या के मुकदमे में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में आत्मसमर्पण के पश्चात् न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वह पूर्व में जमानत पर था। उनकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध आदेशिकायें निर्गत हुई। वह जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुआ है और न ही अपनी जमानत का दुरूपयोग किया है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.05 16:55:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त अभियोग में पूर्व में जमानत पर था। उसकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र एवं धारा 82 दं०प्र०सं० की आदेशिकायें निर्गत होना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार वह जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं हुआ है। सूचना मिलने पर उसके द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। प्रस्तुत मामला परिवाद पर आधारित एवं वैवाहिक विवाद का होना अभिकथित है। प्रार्थी/अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 414/2026, परिवाद संख्या 41/2013, अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 05.06.2026